



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266301
CG-DL-E-22092025-266301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4134]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 4134]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4252(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केंद्रीय अधिनियम 1987 की संख्या 39) के तहत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ राज्य प्राधिकरण द्वारा गठित 'उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति' (पैन AAAAH6532R) को उक्त प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित करती है:

- माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा लगाया गया जुर्माना;
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी एजेंसियों और अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त अनुदान ;
- बैंक जमा पर अर्जित व्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, चंडीगढ़'-

- (a) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (b) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
- (c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2024-2025 के लिए संगत निर्धारण वर्ष 2023-2024 से 2025-2026 तक के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-2026 तथा 2026-2027 के लिए संगत निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा 2027-2028 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 149/2025/फा. सं. 300196/37/2025-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2025

S.O. 4252(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'High Court Legal Services Committee' (PAN AAAAH6532R), an Authority constituted by the State Authority, Union Territory, Chandigarh in consultation with the Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana under the Legal Services Authority Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), in respect of the following specified income arising to the said Authority, as follows:

- (a) Cost imposed by Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh;
 - (b) Grant(s) received from Central Government, State Government(s), Govt agencies & other authority(ies) for the purposes of the Legal Services Authorities Act, 1987;
 - (c) Interest income earned on bank deposits.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that High Court Legal Services Committee, Chandigarh-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to have been applied for the Assessment Years 2023-2024 to 2025-2026 relevant for Financial Years 2022-2023 to 2024-2025 and shall apply with respect to the Assessment Years 2026-2027 and 2027-2028 relevant to Financial Years 2025-2026 and 2026-2027.

[Notification No. 149 /2025/F. No.300196/37/2025-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.